छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् ,रायपुर
कार्यालय – शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी भवन, प्रथम तल, जी.ई. रोड़, रायपुर
492010 (छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 – 2263165
वेबसाईट – www.cgaupcb.in, **ई-मेल** – registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

क्रमांक–03 / निर्वाचन / 2026 / 426.   रायपुर, दिनांक 09/06/2026.

–:: सूचना ::–

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक 881 / 433 / 2024 / 55–एक अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 14 अक्टूबर 2024 के पत्रानुसार छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर के तृतीय परिषद् गठन हेतु **दिनांक 19 दिसंबर 2025 के छत्तीसगढ़ राजपत्र में अंतिम निर्वाचक नामावली** का प्रकाशन किया गया है। निर्वाचक नामावली का अवलोकन कार्यालयीन दिवस एवं अवधि में परिषद् कार्यालय शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी भवन, प्रथम तल जी.ई. रोड, रायपुर (छ0ग0) में किया जा सकता है। इस परिषद् के चुनाव में केवल वे ही पंजीकृत आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी भाग ले सकते हैं जिनका नाम अंतिम निर्वाचक नामावली में नामावलीगत हो।

अधिनियम की धारा 4(1)(ग) के प्रावधानानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के 05 राजस्व संभागों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा में से एक–एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाना है। संभागीय प्रतिनिधि बनने के लिए इच्छुक चिकित्सा व्यवसायी **दिनांक 15 जून 2026 से 19 जून 2026 तक** कार्यालयीन अवधि में नाम–निर्देशन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नाम–निर्देशन पत्र परिषद् कार्यालय में जमा करना होगा तथा इस हेतु अंतिम तिथि एवं समय **दिनांक 25.06. 2026 को मध्यान्ह 12:00 बजे** तक निर्धारित है। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त नाम–निर्देशन पत्र नामंजूर होगा। नाम–निर्देशन पत्र में प्रविष्टि दर्ज करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देशन एवं निर्वाचन कार्यक्रम की विस्तृत सूचना परिषद् के वेबसाईट **www.cgaupcb.in** एवं कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

(डॉ. संजय शुक्ला)
निर्वाचन पदाधिकारी / रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

****

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् ,रायपुर
कार्यालय - शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी भवन, प्रथम तल, जी.ई. रोड, रायपुर
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165
वेबसाईट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

:: छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के तृतीय परिषद् गठन हेतु चुनाव कार्यक्रम ::

क्र.	प्रक्रिया	दिनांक
1.	नाम निर्देशन पत्र वितरण	दिनांक – 15.06.2026 से 19.06.2026 तक (कार्यालयीन अवधि में)
2.	नाम निर्देशन पत्र जमा	दिनांक – 16.06.2026 से 25.06.2026 मध्यान्ह 12:00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की जॉच	दिनांक – 30.06.2026 मध्यान्ह 12:00 बजे से
4.	संभागवार मान्य / नामंजूर उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन	दिनांक – 03.07.2026
5.	मतपत्र लिफाफा (A) प्रेषित करने का दिनांक	दिनांक – 27.07.2026 से 14.08.2026 तक
6.	मतपत्र लिफाफा (B) वापसी का दिनांक	दिनांक – 17.09.2026 मध्यान्ह 12:00 बजे तक
7.	नाम निर्देशन पत्र वापसी	दिनांक – 06.07.2026 से 28.09.2026 तक सायं 05:00 बजे तक
8.	मतपत्र लिफाफा (B) खोलने का दिनांक	दिनांक – 25.09.2026
9.	मतों की सूक्ष्म जांच एवं गणना तथा चुनाव परिणाम	दिनांक – 30.09.2026 मध्यान्ह 12:00 बजे से

(डॉ. संजय शुक्ला)
निर्वाचन पदाधिकारी / रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

****

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् ,रायपुर
कार्यालय - शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी भवन, जी.ई. रोड, रायपुर
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165
वेबसाईट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

तृतीय परिषद् चुनाव 2026 में नाम निर्देशन–पत्र की पूर्ति हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

1. छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) की धारा 4 की उपधारा (1) की खण्ड (ग) में दिये गये प्रावधान के अनुसार तृतीय परिषद् के गठन हेतु परिषद् चुनाव सम्पन्न कराने की प्रक्रिया की जा रही है।
2. छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम छः के अधीन राजस्व आयुक्त संभागवार अंतिम निर्वाचक नामावलियों का छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 19 दिसम्बर 2025 को प्रकाशन किया गया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा राजस्व आयुक्त संभाग की निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रार कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।
3. निर्वाचक नामावली में अंकित चिकित्सा व्यवसायी, आवेदन पत्र के साथ रु. 100/– (एक सौ रुपया) नगद जमा कर रजिस्ट्रार कार्यालय से दिनांक 15/06/2026 से 19/06/2026 तक (कार्यालयीन अवधि में) नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
4. कोई भी चिकित्सा व्यवसायी जिसका नाम किसी राजस्व आयुक्त संभाग में परिषद् की अंतिम निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट हो और वह व्यवसायी अधिनियम की धारा 6 के अधीन अनर्हित (अपात्र) न हुआ हो, उस राजस्व आयुक्त संभाग के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के रुप में अपना निर्देशन–पत्र की पूर्ति कर सकता हैं।
5. प्रत्येक नाम निर्देशन–पत्र एक प्रस्तावक के रुप में तथा दूसरा समर्थक के रुप में दो निर्वाचक नामावलीगत निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा परंतु कोई भी निर्वाचक एक से अधिक नाम निर्देशन–पत्र को हस्ताक्षरित नहीं करेगा।
6. चिकित्सा व्यवसायी द्वारा नाम निर्देशन–पत्र की सम्यक पूर्ति कर रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर के पक्ष में पचास रुपये नगद परिषद् कार्यालय में जमा किया जा सकेगा।

क्रमशः...........02

7. नाम निर्देशन–पत्र, दिनांक 16/06/2026 से 25/06/2026 तक 12 बजे मध्यान्ह तक निर्वाचन पदाधिकारी को प्राप्त हो जाना चाहिए। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले नाम निर्देशन–पत्र नामंजूर होंगे।
8. दिनांक 25/06/2026 को मध्यान्ह 12 बजे तक कार्यालय में प्राप्त नाम निर्देशन–पत्रों की जांच दिनांक 30/06/2026 को की जावेगी।
9. प्रत्येक उम्मीदवार और उसका प्रस्तावक तथा समर्थक नाम निर्देशन–पत्रों की जांच के दौरान दिनांक 30/06/2026 को रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित रह सकता है।
10. नाम निर्देशन–पत्रों की जांच के पश्चात् सही पाये गये चिकित्सा व्यवसायियों को राजस्व आयुक्त संभागवार सम्यक् रुप से नाम निर्दिष्ट उम्मीदवार माना जाकर नाम तथा पता छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया जावेगा।
11. नाम निर्देशन पत्र में उम्मीदवार, प्रस्तावक तथा समर्थक का नाम एवं अन्य प्रविष्टियां अंतिम निर्वाचक नामावली के अनुसार ही होना चाहिए। कोई भी प्रविष्टियां इससे भिन्न पाए जाने अथवा नाम निर्देशन–पत्र की पूर्ति में काट–छाँट होने पर वह नाम निर्देशन–पत्र अविधिमान्य होगा।
12. नाम–निर्देशन पत्रों की जांच में निर्वाचन पदाधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

रायपुर,
दिनांक 09/06/2026.

(डॉ. संजय शुक्ला)
निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति
एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

***